न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3588/2018/सीधी/भू0रा0 विरूद्व आदेश दिनांक 06–06–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 520/अपील/2015–16

रवीन्द्र बहादुर सिंह तनय देवेन्द्र सिंह चौहान
निवासी ग्राम सुकवारी तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0

............................आवेदक

बनाम

1. अशोक कुमार सिंह तनय देवेन्द्र सिंह चौहान
निवासी ग्राम सुकवारी तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0
2. देवेन्द्र सिंह तनय रामकृपाल सिंह चौहान
निवासी ग्राम सुकवारी तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0
3. दिनेश कुमार सिंह तनय देवेन्द्र सिंह चौहान
निवासी ग्राम सुकवारी तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0
4. राजबहादुर सिंह तनय स्व0 नक्षत्रधारी सिंह चौहान
(क) आनन्द मंगल सिंह तनय स्व0 राजबहादुर सिंह चौहान
(ख) अशीष सिंह तनय स्व0 राजबहादुर सिंह चौहान
निवासी ग्राम नौगवां धीर सिंह, तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0

..........................अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक08/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 06–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकार का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जिलासीधी के प्रकरण कमांक 24/अ–74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 02–2–2016 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकों को सूचना जारी की गई तथा अभिलेख की मांग की गई। अनावेदकगण प्रकरण में उपस्थित हुये। प्रकरण के संचालित रहने के दौरान अनावेदक की ओर से प्रकरण सीधी लिंक कोर्ट में स्थानांतरित किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 06–6–2018 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण रीवा में ही संचालित करने के आदेश दिये तथा प्रकरण पूर्व अनुसार तर्क हेतु नियत किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से दिनांक 04–2–2016 को कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 02–2–2016 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में अभिलेख प्राप्त होने एवं अनावेदकगण के उपस्थित होने के पश्चात प्रकरण तर्क हेतु नियत था। इस दरम्यान अनावेदक की ओर से प्रकरण सीधी लिंक कोर्ट पर सुनवाई हेतु स्थानांरित किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रकरण पूर्व अनुसार रीवा कोर्ट में सुनवाई किये जाने के आदेश दिये और प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है। दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी

उपस्थित हो चुके हैं। अन्य पक्षकार प्रकरण को रीवा में ही संचालित कराना चाहते हैं। प्रकरण सीधी लिंक कोर्ट निर्मित होने के पूर्व से प्रचिलत है। प्रकरण रीवा एवं सीधी में कहीं भी संचालित किये जाने की इजाजत है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 06–6–2018 को जो अंतरिम आदेश पारित किया है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 06–6–2018 स्थिर रखा जाता है।

08/1/19

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर